राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1887/2024

नितेश कुमार टाटीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.05.2024

आदेश की दिनांक : 05.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए पुनः पदस्थापित मानते हुये समस्त पारिणामिक लाभ एवं वेतन आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 28.11.2011 को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुआ और उसे चितलवाडा जालौर में पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 04.06.2022 के द्वारा जिला परिषद जयपुर कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानांतरित किया गया। जब से अपीलार्थी निरंतर अपनी संतोषजनक सेवाऐं दे रहा है। अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा पदोन्नत किया गया। और उसे विभाग द्वारा संस्थापन जांच भर्ती आदि का कार्य करने हेतु आवंटित किया गया। श्री मंगल सिंह जिसे आदेश दिनांक 21.06.2022 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया और अपीलार्थी को उसका कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया। उनका कथन है कि श्री मंगल सिंह, वरिष्ठ सहायक जिसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया जिसमें अपीलार्थी को अपना कार्यभार हैंडऑवर नहीं किया। जबकि अपीलार्थी को विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को कईबार सूचना दी गई कि श्री मंगल सिंह ने अपीलार्थी को कार्यभार हैंडऑवर नहीं किया गया है। विभाग द्वारा भी श्री मंगल सिंह को कारण बताओ नोटिस भी उक्त मामलों के संबंध में जारी किया गया। अपीलार्थी को भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने के संबंध में कारण बताओं नोटिस विभाग द्वारा जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिया। परन्तु अपीलार्थी के जवाब पर बिना विचार किये अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 27.05.2024 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया। जो विधि एवं सेवा नियमों के विपरीत है।

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के आदेश दिनांक 27.05.2024 के द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय, पंचायत समिति शाहपुर किया गया। जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक (वरिष्ठ) के अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिला परिषद जयपुर की जिला स्थापना समिति है। राज्य सरकार द्वारा अपने किसी भी आदेश के द्वारा उक्त अधिकारों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रत्योयोजित (डेलीगेट) नहीं किया गया है, विधिवत मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलम्बन हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं है। उक्त आलोच्य आदेश जारी करते वक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 21.05.2021 एवं पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 90 व 1991 की पालना नहीं की गई है। उक्त नियम में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

''विभागीय पत्र में स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी कार्मिक/अधिकारियों को एपीओ/निलंबन करने हेतु मुख्यालय की पूर्वानुमोदन/सूचना अनिवार्य है। यदि प्रशासनिक दृष्टि से अपवाद स्वरूप किसी अधीनस्थ कार्मिक/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में करना एवं कतिपय मामलों में निलंबन आवश्यक समझा जाता है। तो कारणों को विस्तृत विवरण देते हुए नियमानुसार विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त की जावे। बिना विभागीय पूर्वानुमति के भविष्य में किसी भी अधीनस्थ कार्मिक/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में करने एवं कतिपय मामलों में निलंबन की कार्यवाही नहीं करेगे, निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुशासनिक मामलों (यथा निलंबन/राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 16 व 17) में प्रत्येक जिले के लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया हुआ है। जो कि धारा 91 में वर्णित सभी कार्मिकों पर लागू है।'' अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का कार्मिक होने के कारण अपीलार्थी पर पंचायतीराज नियम/पंचायतीराज अधिनियम में वर्णित धाराऐं ही प्रभावी है। कार्मिक विभाग के नियम पंचायतीराज विभाग के कार्मिको पर सीधे लागू नहीं होते है। इस प्रकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 91 (3) के तहत पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलम्बित हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला स्थापना समिति है जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 27.05.2024, को बिना जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के अपने स्तर पर जारी किया गया है, जिसमें जिला स्थापना समिति से अनुमोदन/प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त नियमों के विपरीत जाकर आलोच्य निलम्बन आदेश जारी किया गया है। जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए पुनः पदस्थापित मानते हुये समस्त पारिणामिक लाभ एवं वेतन आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि वह नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन व नियुक्ति अधिकारी है, सरकार द्वारा इस विषय में कोई भी प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी को जहां तक उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित है, को निलम्बित कर

सकेगा। अपीलार्थी को प्रदत्त शक्तियों के तहत नियमानुसार निलम्बन आदेश जारी करते हुए निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आवंटित कार्यो से संबंधित स्वयं की अभिरक्षा में रखे गये रिकॉर्ड का चार्ज आदान प्रदान कर जार्च रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी थी। परन्तु अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्ड आदान प्रदान कर सूची कार्यालय जिला परिषद जयपुर को प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये निलम्बन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। जिसमें किसी भी नियमों को उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 28.11.2011 को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुआ और अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा पदोन्नत किया गया। और उसे विभाग द्वारा संस्थापन जांच भर्ती आदि का कार्य करने हेतु आवंटित किया गया। कार्मिक श्री मंगल सिंह जिसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के कारण अपीलार्थी को उसका कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया। श्री मंगल सिंह, वरिष्ठ सहायक जिसने अपीलार्थी को अपना कार्यभार हैंडऑवर नहीं किया। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को कईबार सूचना दी गई। विभाग द्वारा भी श्री मंगल सिंह को कारण बताओ नोटिस भी उक्त मामलों के संबंध में जारी किया गया। अपीलार्थी को भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने के संबंध में कारण बताओं नोटिस विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसका जवाब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिया। परन्तु अपीलार्थी के जवाब पर बिना विचार किये प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 27.05.2024 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विपरीत जाकर निलम्बन आदेश दिनांक 27.05.2024 जारी किये जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायतीराज) के परिपत्र दिनांक 21.05.2021 में निदेशक द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैः–

> *''निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से अपवाद स्वरूप यदि किसी अधीनस्थ कार्मिक/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में करना*

आवश्यक समझा जाता है तो कारणों का विस्तृत विवरण देते हुए नियमानुसार विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त की जावे। बिना विभागीय पूर्वानुमति के भविष्य में किसी भी अधीनस्थ कार्मिक/अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में करने एवं कतिपय मामलों में निलंबन की कार्यवाही नहीं करेगे, निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुशासनिक मामलों (यथा निलंबन/राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 16 व 17) में प्रत्येक जिले के लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया हुआ है। जो कि धारा 91 में वर्णित सभी कार्मिकों पर लागू है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.11.2019 में यह भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का चयन अधिकारी जिला स्थापना समिति द्वारा किया जाता है तथा पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/निलम्बन हेतु सक्षम है। अतः प्रकरण को जिला स्थापना समिति में रखा जाकर समुचित निर्णय लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।''

वर्तमान मामले में अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का मंत्रालयिक कार्मिक है और अपीलार्थी के विरूद्ध निलम्बन आदेश जारी करने से पूर्व जिला स्थापना समिति का अनुमोदन होना आवश्यक है जबकि आलोच्य निलम्बन आदेश में उक्त समिति द्वारा अनुमोदन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि *राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक (वरिष्ठ) के अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिला परिषद जयपुर की जिला स्थापना समिति है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 90 में जिला स्थापना समिति का गठन एवं कृत्य का उल्लेख किया गया है। जिले की पंचायत समिति और जिला परिषदों को, धारा 79 और 82 में निर्दिष्ट से भिन्न, उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले उन सभी अनुशासनिक मामलों पर, जो धारा 91 के अधीन उत्पन्न हो, परामर्श दे सकेगी।*

इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया ओलाच्य निलम्बन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश में सक्षम स्तर से अनुमोदन का कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2909/2024 कैराराम व 198 अन्य अपीलें बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024, जिसमें जिला संस्थापन समिति की सहमति के बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा किये गये स्थानान्तरणों को भी गलत मानते हुए स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया है। इससे स्पष्ट है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों का स्थानान्तरण/निलम्बन/पदस्थापन आदि में जिला संस्थापन समिति का

अनुमोदन/सहमति उक्त नियमों एवं विधि के अनुसार अनिवार्य है। परन्तु वर्तमान मामलें में भी अपीलार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जयपुर द्वारा निलम्बित किया गया है, जो जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बिना ही उपरोक्त नियमों एवं विधि के विपरीत जाकर असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः उक्त तर्को के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 27.05.2024 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के संबंध में नियमानुसार नये सिरे से आदेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य